



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266201
CG-DL-E-17092025-266201

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 630] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947
No. 630] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

फा. सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएआई-(पार्ट-1).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्बन्धित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथी से अधिसूचित करता है:-

तालिका में,-

- क्रम संख्या 69 का विलोप किया जायेगा;
- वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात, सम्बन्धित स्तंभों में निम्न लिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
“112	श्री अब्दुल मोहम्मद रबीक	दक्षिणी रेलवे ”

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./363/2025-26]

टिप्पणी- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्त (भाग-I), तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 20 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2025

F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI-(part-1).—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Food Safety Officer for the area as mentioned against their names under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:-

In the table,-

1. Serial no. 69 shall be omitted;
2. after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway
“112	Sh. Abdul Mohamed Rabeek	Southern Railways”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./363/2025-26]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and last amended vide notification F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated 20th August, 2025.